ऑन लाईन नं.RCMS2023/251

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 102/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पुत्र श्री दाताराम —विक्रेता व मालिक—
   मै0 चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर, बस स्टेण्ड के पास लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री अविनाश हेमंत काबरा पुत्र श्री गोविन्द लाल फर्म संचालन प्रभारी
   मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, नजदीक मुनी आश्रम, मेडता सिटी—221159

<u>अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा</u>
<u>एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52</u>

निर्णय दिनांक : **20.10.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2021 को बाद दोपहर बाद 12.30 पीएम पर **मै0** चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय देकर दुकान के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान के अन्दर 500—500 ग्राम 24 पोली पैक खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** एवं गवाहान ने भी पढकर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड) 500 ग्राम के** 4 पेक पैकेट को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 320/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** 500 ग्राम के चारों पेक पैकेट पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1223** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1223** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S. 410 Act 2021 400 Dated 10-11-2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1223 Misbranded-Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** मैसर्स चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 21.10.2021 को जब प्रार्थी अपनी उक्त दुकान पर जो हल्दी बेच रहा था जिसका सैम्पल चैक किया गया तो उसमें अमानक **Misbranded-Food** लक्ष्मी ब्राण्ड पाया गया। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती वापिस नहीं दोहरायेगा एव ना ही ऐसा उत्पाद बेचेगा। प्रार्थी को कम से कम आर्थिक दण्ड दिया जावें एवंम प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाया जावें।

अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 21.10.2021 को जब प्रार्थी अपनी उक्त दुकान पर जो हल्दी बेच रहा था जिसका सैम्पल चैक किया गया तो उसमें अमानक **Misbranded-Food** लक्ष्मी ब्राण्ड पाया गया। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती वापिस नहीं दोहरायेगा एव ना ही ऐसा उत्पाद बेचेगा। प्रार्थी को कम से कम आर्थिक दण्ड दिया जावें एवंम कम्पनी के साथ नरमी का रूख अपनाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **हल्दी पाउडर (लक्ष्मी ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1223** जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S./410 Act/2021/400 Dated 10-11-2021 द्वारा **Misbranded-Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्तो के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तो ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.10.2021 को जब प्रार्थी अपनी उक्त दुकान पर जो हल्दी बेच रहा था जिसका सैम्पल चैक किया गया तो उसमें अमानक **Misbranded-Food** लक्ष्मी ब्राण्ड पाया गया। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती वापिस नहीं दोहरायेगा एव ना ही ऐसा उत्पाद बेचेगा। प्रार्थी एंवम कम्पनी को कम से कम आर्थिक दण्ड दिया जावें एवंम प्रार्थी व कम्पनी के साथ नरमी का रूख अपनाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Haldi Powder (Laxmi Brand)"** bearing Code **No and Sr. No. K-1223, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 8,000-00 (अखरे रूपये आठ हजार मात्र) एवम फर्म संचालक प्रभारी श्री अविनाश हेमंत काबरा पुत्र श्री हेमंत गोविन्द लाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000-00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे **जगन्ननाथ पुत्र श्री दाताराम (विक्रेता एवं मालिक)** एवं श्री अविनाश हेमंत काबरा पुत्र श्री हेमंत गोविन्द लाल फर्म संचालक प्रभारी खाद्य पदार्थ मे डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर